न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,टोंक

(पीठासीन अधिकारी: नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रकरण सं0—120/2020

प्रविष्टि दिनांक – 23.10.2020

उनवान

छीतर पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक राज0 –वादी/आवेदक

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र कालू जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
2. रामपाल पुत्र कालू जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
3. रामरख पुत्र कालू जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
4. ~~प्रभू पुत्र मोसीलाल उर्फ मोरया जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तह0 व जिला टोंक~~ (मृतक)
   - 4/1 हनुमान पुत्र प्रभूलाल जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
   - 4/2 दीपक पुत्र प्रभूलाल जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
   - 4/3 मीरा पुत्री प्रभूलाल जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
   - 4/4 अनिता पुत्री प्रभूलाल जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
5. मदनलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
6. रामरख पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
7. गोपाल पुत्र रामरख जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
8. शंकरलाल पुत्र रामरख जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
9. कृष्णा देवी पत्नि गोविन्द जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
10. सुनिता पत्नि शंकर जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
11. सिद्धार्थ पुत्र गोविन्द जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
12. हर्ष पुत्र गोविन्द नाबा. जरिये माता कृष्णा पत्नि गोविन्द जाति जाट नि. ग्राम देवली (भांची) तह व जिला टोंक
13. सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
14. श्रीनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
15. लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
16. धर्मराज पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
17. सियाराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
18. रामराय पुत्र श्योरामा जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
19. रामकल्याण पुत्र श्योरामा जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
20. रामेश्वर पुत्र श्योरामा जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
21. बद्री पुत्र श्योरामा जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
22. प्रहलाद पुत्र श्योरामा जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
23. रतन पुत्री श्योरामा जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
24. तुलसीराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
25. अनोख पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
26. सजना पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
27. महिमा पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
28. रजना पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
29. सीताराम पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
30. रामदयाल पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
31. श्योजी पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
32. रामप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
33. गिर्राज पुत्र जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
34. संतोष पुत्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
35. सोहनी पुत्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
36. शान्ति पुत्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
37. प्रेम पुत्री बजरंगा जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
38. शिवराज पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
39. प्रेम पुत्री बजरंगा जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
40. मीरा पुत्री बजरंगा जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

41. राजेन्द्र पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
42. सीता पत्नि गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
43. रमेश पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
44. ममता पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
45. जगदीश पुत्र लालू जाति जाट निवासी ग्राम देवली (भांची) तहसील व जिला टोंक (राज0)
46. तहसीलदार टोंक तहसील व जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री विजय बहादूर सिंह – अभिभाषक प्रार्थी
श्री हेमराज पूनियां – अभिभाषक अप्रार्थीगण
श्री अर्जुन लाल मीणा – पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक – 17.03.2021

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थना–पत्र यह है कि भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 123 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम देवली तहसील व जिला टोंक में स्थित है। जो आवेदक की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। आवेदक उक्त खसरा नम्बर पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। आवेदक की खातेदारी की उक्त आराजी पर आने–जाने के लिये प्रारम्भ से ही रास्ता बना हुआ था तथा उक्त रास्ता खसरा नम्बर 144 की दक्षिणी मेउ तक राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज है तथा इसके बाद में आवेदक अपने खातेदारी के उक्त खेतों में आने जाने हेतु प्रारम्भ से ही खसरा नम्बर 144, 168, 143, 134, 142, 135, 141, 140, 136, 137, 138, 139, 133, 121, 132, व 122 वाके ग्राम देवली की मेड से होते हुए अपने खेत खसरा नं0 123 तक पहुंचता था तथा इसके बाद खसरा नम्बर 124 व 13 में से होकर अपने खेत ख0नं0 12 में पहुंचता था तथा इसी रास्ते का आवेदक प्रारम्भ से अपनी खातेदारी में पहुंचने के लिये उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है तथा आवेदक को अपनी जोत पर पहुंचने के लिये यही एकमात्र रास्ता है तथा इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग या सुविधाजनक मार्ग उपलब्ध नही है। आवेदक जहां से अपनी जोत पर पहुंचता था, उक्त आराजी विपक्षीगण के खातेदारी के खेत है तथा आवेदक जिस रास्ते का उपयोग, उपभोग कर रहा था, उसे ग्राम देवली की राजस्व शीट में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है तथा उक्त नक्शा आवेदन का अभिन्न अंग है। विगत कुछ समय पूर्व उक्त आराजी के खातेदारों/विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को बन्द कर वहां पर पिल्लर गाड कर तारबन्दी कर दी, जिससे आवेदक अपने खातेदारी के खेतों में नही पहुंच पा रहा है तथा ना ही अपने कृषि यंत्रो को हाकने, जोतने के लिये अपने खेतों में ले जा पा रहा है तथा वर्तमान में आवेदक के उक्त खेत रास्ते के अभाव में खाली पडे हुये है तथा विपक्षीगण द्वारा रास्ता बन्द किये जाने से आवेदक अपने खेतो में कृषि कार्य नही कर पा रहा है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार कर आवेदक के खेत खसरा नम्बर 12 व 123 वाके ग्राम देवली तहसील व जिला टोंक में आने जाने के लिय खसरा नम्बर 144, 168, 143, 134, 142, 135, 141, 140, 136, 137, 138, 139, 133, 121, 132, व 122, 124, व 13 वाके ग्राम देवली में से लाल रंग से दर्शित की गई जगह में से 20 फिट चौडा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान करे तथा उक्त 20 फिट चौडी जगह को रास्ते के रूप में अमल करने हेतु तहसीलदार टोंक को आदेशित किया जावे तथा आवेदक रास्ते के लिये ली जाने वाली जगह के लिये प्रतिकर देने को तैयार व तत्पर है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गयी। प्रतिपक्षी संख्या 18 से 28 एंव 30 से 37 के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने एंव अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। शेष प्रतिपक्षीगण द्वारा जरिये वकील कई अवसरों के बाद भी जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बन्द किया गया। प्रतिपक्षी संख्या 46 तहसीलदार टोंक की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब मे अंकितानुसार परिवाद में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र संलग्न जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट दिनांक 15.01.2021 ली गई। वादपत्र में अंकित खसरा नम्बरों के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वादी की खातेदारी भूमी ख0नं0 12 व 123 वाके ग्राम देवली में जाने हेतु मुताबीक राजस्व रिकार्ड व मौके के अनुसार अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही है। अतः वादपत्र में अंकित खसरा नम्बरों में रास्ता दर्ज रकने हेतु वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)

प्रार्थीगण ने साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबन्दी खाता नं0 29, 105, 160, 121, 175, 55, 176, 134, 185, 36, 114 संवत 2071–2074 वाके ग्राम देवली(भांगी), छायाप्रति नक्शाद्रेरा आदि पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार टोंक प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान वकील वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। जिसका यहा पृथक से उल्लेख नही किया जा रहा है। तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट के अनुसार वादी को खातेदारी भूमी खसरा नम्बर 12 व 123 मे आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अत मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार टोंक वादी को रास्ता दिया जाना स्वीकार योग्य है। प्रकरण में मुताबिक तहसीलदार टोंक रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किया गया।

प्रतिपक्षीगण ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र पुर्नावलोकन पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट मे अंकित वस्तुस्थिति को विरोधाभासी तर्कों से परिपूर्ण है, क्योंकि उक्त मौका रिपोर्ट में जो रास्ता इख्तेयार किया गया है, वह खसरा नम्बर 121 व 122 के मध्य से होकर दो विभिन्न मोड दिया जाकर इगित किया है जिससे मौके पर स्थित आस पडोस के खातेदारान को भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई फायदा होने की उम्मीद नजर नही आती है। इस कारण से बनाई गई मौका रिपोर्ट पुर्नविलोकन किये जाने योग्य है। उक्त आवेदन में प्रार्थी छीतर की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 12 से लगायत 123 तक जाने हेतु जो रास्ता मांगा गया है वह रास्ता खसरा नम्बर 146 तक तो नक्शाशीट मे अंकित किया हुआ तथा उसके पश्चात खसरा नम्बर 144 से लगायत 140 से होते हुए खसरा नम्बर 121 के मध्य से होते हुए सीधा आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 123 में से होते हुए खसरा नम्बर 124 व 13 में से होकर सीधे खसरा नम्बर 12 तक जाने हेतु हम विपक्षीगण द्वारा नजरी तौर पर रास्ता इख्तेयार किया गया है, चूंकि न्यायालय को हम मात्र सहायता करने हेतु आज्ञाप्त है। परन्तु मौके पर अनावश्यक विवाद लडाई झगडा आदि को बढावा ना मिले तथा भविष्य मे सह खातेदारान खसरा नम्बर 120 एंव उसके आस पास के खसरा नम्बरों के खातेदारों को इसी प्रकार के आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने पडे। इस कारण से यह रास्ता पूर्व में ही न्यायालय द्वारा प्रस्तावित तथ्यों को देखते हुए पोषित किया जाना आवश्यक एंव उचित व न्यायसंगत है। प्रा0 पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उल्लेखित किया गया रास्ता पोषित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर आवेदक एंव प्रतिपक्षीगण सहित पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र में अंकित प्रस्ताव पर सभी पक्षों ने अपनी सहमति व्यक्त की हैं अतः यह न्यायालय प्रा0 पत्र पुर्नावलोकन स्वीकार किया जाकर रास्ता दिया जाना उचित समझता है।

आदेश

फलस्वरूप आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पुर्नावलोकन प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 12 से लगायत 123 तक आने जाने, कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर, हल, कुली, ट्रोली आदि लाने ले जाने के लिए रास्ता खसरा नम्बर 146 तक तो नक्शाशीट में अंकित किया हुआ तथा उसके पश्चात खसरा नम्बर 144 से लगायत 140 से होते हुए खसरा नम्बर 121/122 के मध्य से होते हुए सीधा आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 123 में से होते हुए खसरा नम्बर 124 व 13 में से होकर सीधे खसरा नम्बर 12 तक 10 फीट रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते को नक्शा शीट में प्रदर्शित करवाया जाये तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अंकित किया जावे। तहसीलदार टोंक को उक्तानुसार पालना कर, नियमानुसार कार्यवाही एवं नियमानुसार राशि आवेदक से वसूली कर, आवेदक को रास्ता दिया जाकर, राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज0)